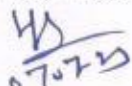
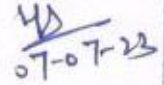


कार्यालय, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा, (बोकारो)

आदेश पत्रक

आवेदक— भूनेश्वर प्रसाद, पिता—स्व० गुरुचरण महतो उर्फ गणेश महतो,
ग्राम— तारानारी, चन्द्रपुरा।

जन आवेदन संख्या— 321, दिनांक— 17.05.2023

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
07.07.2023	आवेदक उपस्थित, आवेदक भूनेश्वर प्रसाद, पिता—स्व० गुरुचरण महतो उर्फ गणेश महतो, मौजा घटियारी, थाना नं० 88 खाता नं० 13 के अंतर्गत रकवा 3.88 ए० का लगान रसीद निर्गत करने का आवेदन दिया गया था। उक्त वर्णित भूमि कि जाँच राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि मौजा घटियारी के खाता सं० 13 सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है। खाता सं० 13 रकवा 3.88 ए० भूमि का लगान रसीद निर्गत करने का आग्रह किया गया है। हल्का में उपलब्ध पंजी II के जाँचोपरान्त पाया कि आवेदक के नाम में वर्णित व्यक्ति रुदु महतो, खेमलाल महतो तथा गुरुचरण महतो के नाम से खाता सं० 13 से संबंधित कोई जमाबंदी दर्ज नहीं है। आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया लगान रसीद की छायाप्रति के अनुसार जमाबंदी सं० 28/II में खाता सं० 12/86 रकवा 3.88 ए० भूमि का जमाबंदी दर्ज है। जो सर्वे खतियान के अनुसार खाता सं० 12 गैरमजरूआ खास खाते की है। पंजी II की सत्यापित छाया प्रति का मिलान करने पर पाया कि जमाबंदी हल्का पंजी में दर्ज नहीं है। उक्त भूमि से संबंधित कागजात की मांग की गई लेकिन आवेदक के द्वारा अपने दावे संबंधित कोई ठोस कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इनके दावे को निरस्त करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त कि जाती है। लेखापित/संशोधित।  अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा।  अंचल अधिकारी,	